(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

विविध प्रकरण कमांक 225–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.7.2010 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला उमरिया – प्रकरण कमांक 366 अ–74/2009–10

1– मध्य प्रदेश व्दारा कलेक्टर उमरिया
2– सुश्री सकुन्तला प्रधान पूर्व विधायक एंव ग्रामीण जनता पाली जिला उमरिया ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती प्रेमवती वाई पुत्री विहारीसिंह गौड़ निवासी सेंट जोसेफ इंगलिश मीडियम स्कूल पाली गोरइया हाल निवासी सरवाही कला थाना व तहसील पाली जिला उमरिया
2– प्रबंधक प्राचार्य, निवासी सेंट जोसेफ इंगलिश मीडियम स्कूल पाली गोरइया व्दारा सॅवास्टियन जार्ज पुत्र वर्गिस पाली प्रोजेक्ट तहसील पाली जिला उमरिया ---अनावेदकगण

(श्री के.के.द्विवेदी अभिभाषक – आवेदक क–2)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 01 –10– 2015 को पारित)

कलेक्टर जिला उमरिया ने पूर्व–पीठासीन अधिकारी व्दारा प्र0क0366अ–74/2009–10 में पारित आदेश दि. 27–7–2010 को पुनरावलोकन में लेने दिये अनुमति जाने वावत् भेजे गये प्रस्ताव दिनांक 21.1.2015 पर से यह प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तत्कालीन कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण कमांक 366 अ–74/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 27–7–2010 से अनावेदक कमांक–1 के स्वत्व की ग्राम गोरइया स्थित भूमि सर्वे कमांक 286/1 रकबा 2.00 एकड़ को अनावेदक कमांक 2 की ग्राम बन्नोदा स्थित भूमि सर्वे कमांक

697/3 रकबा 1.011 है. एंव सर्वे नंबर 717 रकबा 0.113 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.214 हैक्टर का विनिमय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 167 के अंतर्गत करना स्वीकार किया। कलेक्टर जिला उमरिया ने भूमि विनिमय विधि के प्रावधानों के विपरीत पाने से तत्कालीन कलेक्टर उमरिया के प्रकरण कमांक 366 अ-74/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 27-7-2010 को पुनरावलोकन में लेने हेतु अनुमति वावत् प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

3/ आवेदक क-2 के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा कलेक्टर उमरिया व्दारा भेजे गये प्रतिवेदन कमांक 266/अ-74/09-10/2015/378 दिनांक 21.1.2015 का तथा तत्कालीन कलेक्टर उमरिया के प्रकरण कमांक 266/अ-74/09-10 का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को सूचना जारी की गई , किन्तु वह अनुपस्थित हैं।

4/ आवेदक क-2 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर उमरिया व्दारा भेजे गये प्रतिवेदन कमांक 266/अ-74/09-10/2015/378 दिनांक 21.1.2015 में बताये गये तथ्यों से तत्कालीन कलेक्टर उमरिया द्वारा प्रकरण कमांक 366 अ-74/2009-10 में पारित आदेश दि. 27-7-2010 के पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त कारण हैं एंव पुनरावलोकन अनुमति प्रदान करने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन भी नहीं है। अतः तत्कालीन कलेक्टर उमरिया द्वारा प्रकरण कमांक 366 अ-74/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 27-7-2010 के पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की जाती है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर